बनिवादी सुविधाओं की उपलब्धता को देखते हुए अधिकांश राज्यों में स्थापित किए गए हैं ।

Food Processing Industry at Salem

1031. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN:
DR. NARREDDY THULASI REDDY:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that Salem tops the list in mango production;

(b) whether a food processing company would be established at Salem in order to utilise the bulk of mangoes;

(c) whether the Union Government have received petitions in this regard; and

(d) if so what decision has been taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) and (b) Although Salem District does not top the list of mango producing Districts in the country, its quantity of production of mangoes is considerable. However, Central Government does not set up food processing units directly. At present there is no proposal to set up a food processing company at Salem. However, there are 8 units in Salem District, licensed under the Fruit Product Order which are capable of processing mangoes.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

फलों के रस से पेय पदार्थों का निर्माण

1032. **श्री माहेश्वर सिंह** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वह फल उत्पादकों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से तथा उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से पेय पदार्थों में 20 प्रतिशत फल रस अनिवार्य रूप से होने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ख) जी, नहीं । परंतु शीतल पेयों में 200% फल रस अनिवार्य रूप से मिलाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुआ है । तकनीकी और कानूनी पक्षों आदि सहित इस प्रस्ताव की संभाव्यता की जांच की जा रही है ।

Attracting private investment in the Food Processing sector

1033. SHRI VIREN J. SHAH: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether the Central Government have asked the State Governments to consider suitable amendments in Sales Tax, Octroi, market fee and provide certain other incentives in order to attract more private sector investments in the food processing sector;

(b) if so, what are the details of instructions issued to State Governments;

(c) what has been the response of each State Government in this regard; and

(d) what steps Government propose to take for the speedy implementation of its instructions?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (d) While no instructions were issued to the State Governments in regard to amendments in the Sales Tax, Octroi, market fee etc., letters were addressed to all Chief Ministers/Administrators of the States suggesting *inter alia* to consider such measures as reduction of sales tax/octroi and suitable incentives for attracting more private sector investment in the respective States. As per the information available in the Ministry, State Governments of West Bengal, Haryana, Karnataka and Maharashtra have responded to the suggestion of the Central Governmennt and have provided several incentives for setting up of food processing industries.

मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना

1034. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटूभाई पटेल :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य वार कितने-कितने खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित किए गए हैं ;

(ख) मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार से या निजी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1992 के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले खाद्य प्रसंकस्रण एककों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) मध्य प्रदेश में कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान इन एककों को केंद्रीय सरकार द्वारा क्या सहायता प्रदान की गयी है ; और

(ङ) सरकार के पास कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं और इन्हें कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ङ.) यद्यपि पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित सभी खाद्य प्रसंकरण उद्योगों के संबंध में राज्यवार सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती फिर भी चावल मिलों, रोलर आटा मिलों, मछली प्रसंस्करण यूनिटों, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों और खाद्य उत्पाद आदेश के अधीन पंजीकृत मृदुवातित पेय यूनिटों की संख्या विवरण में दी गई है (**नीचे देखिए**)। मध्य प्रदेश में फलउत्पाद आदेश के अधीन पंजीकृत 72 फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट और 27 वातित फल यूनिट, 3674 चावल मिलें और 25 रोलर आटा मिलें हैं। यह मंत्रालय किसी राज्य में स्वयं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करता परंतु ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार ने राज्य संगठनों/सहकारिता संयुक्त सेक्टर/सहायित सेक्टर के यूनिटों को सहायता देनेहेतु स्कीमें तैयार की है। होशंगाबाद जिले में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए इक्विटी पूंजी के रूप में मैसर्स मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, भोपाल को वर्ष 1990-91 के दौरान 45 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। भोपाल में पोल्ट्री प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कट विकास निगम लिमिटेड, भोपाल से भी प्राप्त हुआ था और 1991-92 के दौरान इक्विटी के रुप में 62.5 लाख रुपए और ऋण के रूप में 25 लाख रूपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी। होशंगाबाद जिले में बाबई स्थान में खुम्भी उत्पादन और प्रसंकस्रण के लिए एक परियोजना की स्थापना हेतु अनुदान सहायता के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, भोपाल से भी 1991-92 के दौरान प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिस पर कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। इसके अलावा दुर्ग में टमाटर पेस्ट, आम सांप्रण आदि तैयार करने के लिए 100%